

# ॥ कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) ॥

:: आदेश ::

क्रमांक / 4250 / वि.लि.प्र. / 2024 /

दुर्ग, दिनांक 11/06/2024

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 2 के परिशिष्ट 6 के नियम 43 में निहित प्रावधानों एवं श्रमायुक्त शासन रायपुर एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2024/3302 एवं 3303 रायपुर, दिनांक 24.05.2024 द्वारा जिले में आकस्मिक वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार दैनिक एवं मासिक वेतन की परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना की जाकर दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 अवधि के लिये लागू मानी जावेगी। निम्नानुसार दैनिक एवं मासिक वेतन निर्धारित किया जाता है:-

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है इसलिये वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं है।
2. यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, किन्तु उनका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से लिया जावेगा।
3. जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है वह कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी। मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी।
4. जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर में 26 (छब्बीस) से भाग देकर गणना किया जावेगा।
5. यदि किसी संदर्भ में एक दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक दर में 30 का भाग देकर निकाला जावेगा।
6. यह दर संपूर्ण जिले के लिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू मानी जावेगी। ये दर दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि के लिए लागू मानी जायेगी।

## अनुसूची - "एक"

### जोन "अ" -

1. नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
2. राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
3. नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
4. प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखाने जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

जोन "ब" - नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन "स" - जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश का समस्त क्षेत्र।

...2...

// 2 //

दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 अवधि के लिये

| क. | पद श्रेणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अनुसूची "ग" विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक व दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता |                                                                   |                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जोन                                                                                                                                                | मासिक                                                             | दैनिक                                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                 | 5                                                        |
| 1  | <b>अकुशल श्रमिक :</b><br>वाटर मेन, वाटरमेन कम माली, चौकीदार कम फर्लाश, चौकीदार कम माली, धोबी, खलासी डाक रनर, डेडमाली, रसोईया (शाकाहारी मांसाहारी) वार्डबाय, आया, ड्रेसर, स्वीपर, अस्पताल, सर्वेन्ट (महाविद्यालय छात्रावास) मोटर तथा इंजनविलयर, कर्मशाला मजदूर, वर्कशाप फार्मेशी मेट व्हेटनरी, मैनेजर पैकेट, मतस्य विभाग, फील्ड वर्कर सभी प्रकार के सभी विभागों के लिये फर्लाश वेल्डर, वेल्डर आटोचालक, पंप परिचालक प्लायर, चरवाहा, फिटर मेन वन विभाग भृत्य, चैनमेन, सभी विभागों के लिए स्वैच्छिक (पी. टी.एस.लश्कर) (भूतपूर्व सैनिक) (स्टोनमेन) एस.सी.चर्मकार औजार के साथ (सी.सी. के लिए), अटेंडेंट (चार घंटे कार्य पशुशल्य), खसटट्टी मजदूर/पानी पिलाने वाला, पोल्ट्री (व्हेक्लीनेटर), (पशु चिकित्सा विभाग के लिए), पार्ट टाइम स्वीपर (अंशकालिन जहां शासन के पद स्वीकृत है तथा कार्य दो घण्टे या कम हो), स्वैच्छिक पीटीएस अंशकालीन 4 घण्टे कार्य शासकीय औषधालय में कार्यरत, पानी भरने वाला मजदूर। | <b>पूर्णकालिक</b><br>अ<br>ब<br>स<br><b>अर्धकालिक</b><br>अ<br>ब<br>स                                                                                | 10900.00<br>10640.00<br>10380.00<br>5450.00<br>5320.00<br>5190.00 | 363.33<br>354.67<br>346.00<br>181.66<br>177.33<br>173.00 |
| 2  | <b>अर्ध कुशल श्रमिक :-</b><br>व्हाइट वाशिंग, सफेदी वाला, टाइलटनर्स, प्रेसर, मोहरीर, सहायक मिस्त्री, लाइन मेन सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर सहायक ग्राउण्डर, सहायक पेन्टर, सहायक टिकर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक मेकर, सहायक वायरलेश, सहायक टायर, प्रिंटर चालक, (स्कुटर आटो आदि हल्के वाहन) परिचालक, जांच करने वाला, निरीक्षक, बालपेन, फायरमेन, लिपिक, पंप अटेंडेंट, व्हीलरी कैशियर खानसामा, सर्किट हाउस, मुख्य रसोईया, इंजन ड्रायवर, सुपरवाइजर, फिल्ड वर्कर, व्हाईटिंग, विलनिंगख मेसरी, मशीन मेन, मशीन अटेंडेण्ड, मिल बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, सहायक आपरेटर, मुंशी बुक लिप्टर (लाइब्रेरी) (मेकर पट्टी मेकर नमूना सहायक) उपसंचालक खाद्य एवं प्रसाधन के लिए, मशीनमेन, प्रिंटिंग प्रेस/ट्रेक्टर क्लीनर, कुशल एवं अर्धकुशल मजदूर वन विभाग तथा खनिकर्म विभाग, मिस्त्री का सहायक, टयुबवेल कर्मशाला, मजदूर, अकुशल (पंचवन) चौकीदार स्वर्णधातु सर्वेक्षण हेतु मजदूर (सोनाखान के लिए), रिकशा चालक।  | <b>पूर्णकालिक</b><br>अ<br>ब<br>स<br><b>अर्धकालिक</b><br>अ<br>ब<br>स                                                                                | 11550.00<br>11290.00<br>11030.00<br>5775.00<br>5645.00<br>5515.00 | 385.00<br>376.33<br>367.67<br>192.50<br>188.16<br>183.83 |

...3...

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>कुशल श्रमिक :-</b><br>खानसामा (प्रशिक्षित), डीलिंग मशीन आपरेटर, मेल्स, वायर मेन, इलेक्ट्रिशियन (आई टी.आई पास या छ.ग. अनुज्ञापन मंडल से लायसेंस धारी) केबिनेट मेकर, चार्जमेन, कैशियर, गोडाउन कीपर, फीटर, फील्ड सुपरवाइजर, (मलेरिया) ब्रायलर अटेंडेंट, टर्नर डीलर ग्राइंडर, मैकेनिक, कीपर प्रेशरमेन, राजमिस्त्री, डीजल मिस्त्री, लिओ ओपर सेट, कैमरा आपरेटर, गोताखोर, पानी वाला, मिस्त्री, कम्पोजिटर, आपरेटर वाटर वर्क्स, सीनियर गार्ड, फायर मेन, मुख्य लिपिक, पटवारी ट्रेसर, स्टोर कीपर, कारपेंटर, आपरेटर बिजली मिस्त्री, मुनीम, लेखापाल लिपिक, उद्योगो मे कार्यरत हैड पंप मैकेनिक, सर्वेयर (डिप्लोमा प्राप्त) दर्जी मशीन के साथ अस्पताल एवं एन.सी.सी.(पीटी डील) शिक्षक आपरेटर एवं प्लांट अटेंडेंट मेकर, प्रोजेक्टर आपरेटर, फोटो कापी आपरेटर, कृषि महाविद्यालय प्रयोगशाला सहायक (उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण भौतिक, रसायन, गणित, विषयो के साथ, ज्ञायवर (जिसका उल्लेख न हो ), ट्रेक्टर ज्ञायवर मददगार (भौतिक तथा खनिकर्म विभाग के लिए) हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी लिपिक (मुद्रलेखन) हायर सेकेण्डरी, हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण, लेखापाल (प्रशिक्षित) कनिश्ठ सहायक, उत्पादक, सहायक (स्टेनो टायपिस्ट) स्टेनोग्राफी का ज्ञान हो, टेलीफोन आपरेटर, मीटर रीडर, टयुबवेल मिस्त्री, लेब टेक्निशियन कुशल, कम्पोजीटर/ प्रीटिंग प्रेस कुक्कुट परियोजना एवं शीतगृह परिचालक, नारी निकेतन के लिए फील्ड वर्ग पंचवन (वन पाल समक्ष आटिस्ट, शिक्षित मजदूर लिपिक या अन्य लिपिक (मुद्रलेखक)सेमी फिल्ड वर्कर लाइनमेन वेल्डर ब्लेकस्मिथ लोहार, ट्रेक्टर क्लीनर (कुशल) कर्मशाला मजदूर कुशल समयपाल । | <b>पूर्णकालिक</b><br><br>अ<br><br>ब<br><br>स<br><br><b>अर्धकालिक</b><br><br>अ<br><br>ब<br><br>स | 12330.00<br><br>12070.00<br><br>11810.00<br><br>6165.00<br><br>6035.00<br><br>5905.00 | 411.00<br><br>402.33<br><br>393.67<br><br>205.50<br><br>201.16<br><br>196.83 |
| 4 | <b>उच्च कुशल :-</b> उपयंत्री (डिप्लोमा), उपयंत्री (बिजली), इंजीनियरिंग स्नातक, एम.टेक. एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त/कनिश्ठ तकनीकी सहायक (उपयंत्री) स्टेट वेयर कार्पोरेशन के लिए, शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफर) स्टेनोग्राफर की परीक्षा उत्तीर्ण, यंत्र सुधारक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, भारी वाहन चालक ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>पूर्णकालिक</b><br><br>अ<br><br>ब<br><br>स                                                    | 13110.00<br><br>12850.00<br><br>12590.00                                              | 437.00(437)<br><br>428.33(428)<br><br>419.67(420)                            |

**टीप :-** इनका औसत 400 घोषित करता हूँ जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग एक के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16 दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017, में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों भाग एक परिशिष्ट "अ" के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर,  
वास्ते-कलेक्टर, दुर्ग

पृ०क्रमांक / 4250 / वि.लि.प्र. / 2024 /  
प्रतिलिपि :-

दुर्ग, दिनांक / / 2024

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
5. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग,
6. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, दुर्ग,
7. संचालक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, रायपुर,
8. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर रायपुर,
9. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त रायपुर,
10. विक्रय कर आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़,
12. संभागीय यंत्री टेलीफोन्स, जबलपुर संभाग जबलपुर,
13. पोस्ट ऑफिस अधीक्षक, दुर्ग,
14. समस्त कार्यालय प्रमुख जिला-दुर्ग,
15. अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी, दुर्ग,
16. प्रबंधक, दुर्ग जिला सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित दुर्ग,
17. महाप्रबंधक, जिला को-आपरेटिव बैंक दुर्ग,
18. अधिकारी सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग सिमगा जिला रायपुर,
19. अधीक्षक, सह जिला आयुर्वेद अधिकारी दुर्ग,
20. कार्मिक प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य मंडी गृह निगम रायपुर,
21. संभागीय यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल दुर्ग,
22. आयुक्त, नगर पालिका / नगर निगम दुर्ग / भिलाई,
23. मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सर्व) जिला दुर्ग,
24. प्रभारी अधिकारी, छ०ग०स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.दुर्ग,
25. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (सर्व) जिला दुर्ग,
26. प्रभारी अधिकारी (सर्व) जिला दुर्ग,
27. सहायक श्रमायुक्त दुर्ग,
28. विकासखण्ड अधिकारी (सर्व) जिला दुर्ग,
29. डिवीजनल इंजीनियर दक्षिण रेल्वे बिलासपुर,
30. सहायक संचालक मत्स्योद्योग (कुटेलाभाटा) दुर्ग,
31. संरक्षण सहायक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य उप मण्डल रायपुर,
32. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, दुर्ग,
33. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग / धमधा / पाटन,
34. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत पाटन, उतई, अहिवारा, धमधा,
35. छ०ग०राज्य भण्डार गृह निगम दुर्ग,
36. मुख्य कार्यपालन अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण दुर्ग,
37. कार्यपालन यंत्री, काडा सिंचाई संभाग पदमनाभपुर दुर्ग,
38. अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा (दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग) जिला दुर्ग ।
39. जिला लघु वनोपज वन विभाग सामान्य दुर्ग,
40. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एन.आई.सी.शाखा) जिला कार्यालय दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया जिला दुर्ग के वेबसाइट **durg-gov.in** में अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित

डिप्टी. कलेक्टर,

वास्ते-कलेक्टर, दुर्ग